पाणलोट क्षेत्र आधारित मृद व जलसंधारणाची कामे मशिनद्वारे करण्यासाठी सुधारीत आर्थिक मापदंड निश्चित करणेबाबत

महाराष्ट्र शासन मृद व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्रमांक: मापद-२०२२/प्र.क्र. ५२८/जल-७

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. तारीख: २७ नोव्हेंबर, २०२४.

वाचा:

- १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. रोहयो-२००७/प्र.९५/रोहयो-१. दि. १६ जुलै, २००७ व दि. २८ सप्टेंबर, २००७.
- २) ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्र. जलसं-२००८/प्र.क्र.५६/जल-७. दि. ११ एप्रिल, २००८ व दि. १७ एप्रिल, २००८.
- ३) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२००९/प्र.१६६/मग्रारो-१, दि. २० जानेवारी, २०१०.
- ४) ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्र. जलस-२०१०/प्र.क्र.१८/जल-७, दि. २३ एप्रिल, २०१०.
- ५) ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्र. जलसं-२०११/प्र.क्र.१३१/जल-७, दि. ७ फेब्वारी, २०१२.
- ६) ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्र. जलसं-२०१२/प्र.क्र.२३/जल-७. दि. १ जून, २०१२.
- ७) ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्र. जलसं-२०१२/प्र.क्र.२३/जल-७, दि. ५ मार्च. २०१३.
- ८) ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्र. मापदंड-२०१३/प्र.क्र.११४/जल-७. दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०१३.

प्रस्तावना :

राज्यातील सर्वसाधारण क्षेत्रात व अवर्षण प्रवण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात होत असलेली जिमनीची धूप, पावसाचे पाणी अडवण्याची व साठवण्याची पुरेशी व्यवस्था नसल्यामुळे पाणलोट क्षेत्र आधारित जलसंधारण व मृद संधारणासाठी बरेचसे उपचार केंद्र व राज्य पुरस्कृत विविध योजनेंतर्गत राज्यात राबविण्यात येत आहेत. सध्या राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान २.०, केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना- पाणलोट विकास घटक २.०, गितमान पाणलोट विकास कार्यक्रम, साखळी सिमेट बंधारे कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY), मागेल त्याला शेततळे इत्यादी योजनेंतर्गत पाणलोट क्षेत्र आधारित विविध मृद व जलसंधारण उपचाराची कामे करण्यात येत आहेत.

- २. संदर्भाधीन शासन निर्णय दि. ११ एप्रिल, २००८ अन्वये पाणलोट विकास अंतर्गत मृद व जलसंधारणाच्या काही उपचारांची कामे मिशनद्वारे करण्यास मान्यता देऊन त्या उपचारांचे तांत्रिक व आर्थिक मापदंड मंजूर करण्यात आले आहेत. मिशनसाठी लागणाऱ्या इंधनाच्या दरात झालेली वाढ विचारात घेऊन संदर्भाधीन शासन निर्णय दि. ०१ जून, २०१२, ०५ मार्च, २०१३ व १५ ऑक्टोबर, २०१३ अन्वये विविध उपचारांच्या आर्थिक मापदंडात वाढ करण्यात आली होती.
- ३. सद्यस्थितीमध्ये वाढलेले मजुरीचे दर, इंधनाचे वाढलेले दर, यंत्रांच्या किमती, यंत्रांच्या दुरुस्ती व देखभाल यांच्या खर्चामध्ये झालेली वाढ आणि महागाई निर्देशांकामध्ये झालेली वाढ यामुळे मंजूर असलेले आर्थिक मापदंड अपुरे पडत आहेत. परिणामी, मृद व जलसंधारणाच्या योजनांतर्गत निधीतून हाती घेण्यात येणाऱ्या पाणलोट विकासाची विविध कामे मिशनद्वारे पूर्ण करण्यासाठीचे आर्थिक मापदंड सुधारित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:

शासन निर्णय दि. ०७ फेब्रुवारी, २०१२ अन्वये पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या विविध योजनातंर्गत मृद व जलसंधारणाच्या उपचारांची तांत्रिक व आर्थिक मापदंड निश्चित करणे संदर्भात आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. सदर समितीची बैठक दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी झाली असून, सदर बैठकीमध्ये मृद व जलसंधारण उपचारांचे मंजुर तांत्रिक मापदंड कायम ठेवून मृद व जलसंधारण विभागाच्या सन २०२२-२३ च्या सामाईक दर सुचीनुसार आर्थिक मापदंड सुधारीत करण्याबाबत समितीने शिफारस केली असून सदर शिफारस संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी शासनास मान्यतेस्तव प्रस्तावित केली आहे. सदर शिफारशींचा अभ्यास करून शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

- २. पाणलोट क्षेत्र आधारित मृद व जलसंधारणाच्या खालील उपचारांची कामे मिशनद्वारे करणेसाठी आर्थिक मापदंड सोबतच्या <u>"विवरणपत्र-अ"</u> मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सुधारित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
 - (१) ढाळीची बांध बंदिस्ती (ग्रेडेड बंडींग)
 - (२) शेत बांध बंदिस्ती (कंपार्टमेंट बंडींग)
 - (३) भात खाचर बांध बंधिस्ती (मजगी)
 - (४) शेततळे (सिल्ट ट्रॅप खोदाईसह/ खोदाई विरहीत)
 - (५) माती नाला बांध
 - (६) सलग समपातळी चर (सी.सी.टी)
 - (७) खोल सलग समपातळी चर (डीप सी.सी.टी.)
 - (८) गुरे प्रतिबंधक चर
 - (९) बोडी दुरुस्ती/नुतनीकरण
- ३. वरील कामांसाठी संदर्भाधीन शासन निर्णय दि. १६ जुलै, २००७, दि. २८ सप्टेंबर, २००७ व दि. २३ एप्रिल, २०१० अन्वये निश्चित केलेले तांत्रिक मापदंड कायम राहतील. सोबतच्या "विवरणपत्र-अ" मध्ये दर्शिवलेली मृद व जलसंधारणाची कामे कोणत्याही पध्दतीने पूर्ण केली तरी <u>मशिनद्वारे कामे पूर्ण</u> करण्यासाठी निश्चित केलेले आर्थिक मापदंड अनुज्ञेय राहतील.

- ४. सदरचे मापदंड पाणलोट क्षेत्र आधारीत मृद व जलसंधारणाच्या विविध योजनांच्या / निधीच्या स्रोतातून घेतली तरी त्या कामासाठी लागू असतील व ते खर्चाच्या दृष्टीने अत्यंत काटकसरीने व काळजीपूर्वक वापरण्याची संबंधितानी दक्षता घ्यावी. प्रस्तुत खर्चाचे (तांत्रिक/आर्थिक) मापदंड केवळ प्रत्यक्ष कामाच्या भागापुरतेच आहेत. दि. २८ सप्टेंबर, २००७, दि. २० जानेवारी, २०१० व दि. ०१ जून, २०१२ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली संकल्प चित्रे कायम ठेवण्यात आली आहेत.
- ५. सदर सुधारित आर्थिक मापदंड हे शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून लागू राहतील. ज्या कामांना हा शासन निर्णय निर्गमीत होण्यापूर्वी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे, अशा कामांना पूर्वलक्षी प्रभावाने सदर सुधारीत आर्थिक मापदंड लागू राहणार नाहीत.
- ६. सदर सुधारीत आर्थिक मापदंडामध्ये भविष्यात सुधारणा करावयाची असल्यास प्रचलीत कार्यपद्धतीने शासनास प्रस्ताव सादर करुन मान्यता घेणे क्रमप्राप्त राहील.
- ७. सदर सुधारित आर्थिक मापदंड रोजगार हमी योजना/ महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना या अंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या मृद व जलसंधारणाच्या कामांसाठी लागू राहणार नाहीत.
- ८. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४७/का.१४३४, दि. १९ ऑगस्ट, २०२४ आणि वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५६०/व्यय-१५, दि. २६ सप्टेंबर, २०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४११२७१४५२४५६६२६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(देवेंद्र भामरे) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत.

- १) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई.
- २) मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
- ३) मा. अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
- ४) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ५) मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ६) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ७) मा. मंत्री, मृद व जलसंधारण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ८) मा. मंत्री, कृषी यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ९) सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- १०) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
- ११) सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य.

- १२) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
- १३) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- १४) महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर.
- १५) सर्व विभागीय आयुक्त,
- १६) आयुक्त (कृषी), पुणे.
- १७) आयुक्त, मृद व जलसंधारण, छत्रपती संभाजीनगर.
- १८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे.
- १९) सर्व जिल्हाधिकारी,
- २०) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,
- २१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व महासंचालकपुणे ,महाराष्ट्र राज्य ,सामाजिक वनीकरण ,.
- २२) महासंचालक, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), छत्रपती संभाजीनगर.
- २३) संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, पुणे
- २४) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक,
- २५) सर्व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी,
- २६) सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग,
- २७) सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कृषी विभाग,
- २८) सर्व कार्यकारी अभियंता (ग्रामीण पाणी पुरवठा), जिल्हा परिषद,
- २९) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे / छत्रपती संभाजीनगर,
- ३०) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी,
- ३१) सर्व सह सिचव/उप सिचव / अवर सिचव/ कार्यासन अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ३२) नियोजन विभाग/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ३३) जल-७, निवड नस्ती.

मृद व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मापद-२०२२/ प्र.क्र. ५२८/ जल-७, दि.२७/११/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र विवरणपत्र - 'अ'

| | उपचाराचे नांव | | तांत्रिक मापदंड | | | | | | | | आर्थिक मापदंड (रु.) | |
|--------|---|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|--------|
| अ.क्र. | | उतार गट/जिमनीचा प्रकार | पाया रुंदी (मी). | बांधाची उंची (मी.) | माथा रुंदी (मी.) | बाजू उतार | बांधाचा छेद (चौ.मी.) | बांधाची लांबी (मी.) | खोदकाम परिमाण (घ.मी.) | परिमाण | ज.जा.उ.यो / डों.भाग | इतर |
| | | भारी | २.५० | ٥.८٥ | ०.५० | १.२५:१ | १.२० | ९५ | - | हेक्टर | ७६४७ | ६९०० |
| 8 | ढाळीचे बांध बंदिस्ती | मध्यम | २.३० | ૦.૭૫ | ०.५० | १.२०:१ | १.०५ | १६५ | - | " | १०२१५ | ९२३४ |
| | | हलकी | २.०० | ૦.૭५ | ०.५० | १.००:१ | 0.94 | २१० | - | " | ११४१० | १०३२० |
| | शेत बांध बंदिस्ती (कंपार्टमेंटचे बंडींग) ० ते ४ टक्के उतार | | | | | | | | | | | |
| २ | हलकी जिमन | हलकी | १.८० | ૦.૭૫ | ο,ξο | १:१ | 0.८0 | २०० | - | हेक्टर | ८२४६ | ७६४१ |
| | मध्यम जिमन | मध्यम | २.०० | ૦.૮૫ | 0.30 | १:१ | १.०० | २०० | - | " | १००८६ | ९३३० |
| | भारी जिमन | भारी | २.२५ | 0.90 | ०.४५ | १:१ | १.२० | २०० | - | " | ११९७० | ११०६३ |
| | भात खाचरे बांध बंदिस्ती (मजगी) | | | | | | | | | | | |
| | | ३ % पर्यंत | १.८० | ०.६८ | ०.४५ | १:१ | ०.७५ | ६५० | ७५० | हेक्टर | ६८४२३ | ६१४१२ |
| | अ) (०.७५ चौ.मी. छेदाचे बांध) (कोकण व पश्चिम महाराष्ट्राकरिता) | ३ ते ६ % | १.८० | ०.६८ | ०.४५ | १:१ | ૦.७५ | ७२० | १३१२ | " | ९८६४१ | ८८६७८ |
| ₹ | (| ६ ते ८ % | १.८० | ०.६८ | ०.४५ | १:१ | ०.७५ | ८१७ | १५०० | " | ११२२८३ | १००९४६ |
| | ब) (०.५४ चौ.मी. छेदाचे बांध) | ३ % पर्यंत | १.५० | ०.६० | 0.30 | १:१ | ०.५४ | ६५० | ७५० | हेक्टर | ५९८९५ | ५३८१८ |
| | प) (७.५४ पा.मा. छुपाय पाय) (पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण व विदर्भ (हलकी जमीन)) | ३ ते ६ % | १.५० | ०.६० | 0.30 | १:१ | ०.५४ | ७२० | १३१२ | | ८९१९५ | ८०२६७ |
| | | ६ ते ८ % | १.५० | ०.६० | 0.30 | १:१ | ०.५४ | ८१७ | १५०० | | १०१५६५ | ९१४०२ |
| ४ | भात खाचरे बांध बंदिस्ती (पॅडी बंडिंग) (विदर्भाकरिता) | | २.२० | ०.६० | 0.80 | १.५:१ | ০.৩८ | ১৩৩ | ५६३ | हेक्टर | ६६१३८ | ५९२३८ |

मृद व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मापद-२०२२/ प्र.क्र. ५२८/ जल-७, दि.२७/११/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र विवरणपत्र - 'अ'

| | | | | आर्थिक मापदंड (रु.) | | |
|---------|---|--|------------------------------|------------------------|-------|--|
| अ. क्र. | उपचाराचे नांव | तांत्रिक तपशील | परिमाण | ज.जा.उ.यो / डों.भाग | इतर | |
| فر | जुनी भातशेती बांध दुरुस्ती (कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र व विदर्भाकरिता) | बांधाचा अतिरिक्त छेद- ०.४५ चौ.मी. (शासन शुद्धीपत्रक क्र. /११४/ जल- ७/ दि. ४/२/२०१४ नुसार सुधारीत मंजुर आर्थिक मापदंड) | हेक्टर | २८५६६ | २५४३७ | |
| | माती नाला बांध | | | | | |
| | १ टक्के नाला तळ उतारा पर्यंत | मुख्य बांध - १) बाजू उतार- १.५०:१.०० ते २.००:१.०० २) माथा रुंदी - १ ते १.५० मी. ३) सांडव्यावरून वाहणा-या पाण्याची उंची = ०.४० ते १ .००मी. | | ४०१८७ | ७८०८६ | |
| Ę | २ टक्के नाला तळ उतारा पर्यंत | ४) फ्रि बोर्ड १.००मी ५) अभेद्य भिंत अ) बाजू उतार- १.००:१.०० व) माथा रुंदी - ०.६० मी. | पाणी साठा (४.४५ ह.घ.मी.) | ७०१७३ | ६६५०६ | |
| | ३ टक्के नाला तळ उतारा पर्यंत | ६) सी.ओ.टी.(नाला तळामध्ये) अ) बाजू उतार- ०.५०:१ .०० ब) तळ रुंदी - १.०० ते २.०० मी. ७) सी.ओ.टी.(नाला तळा व्यतिरिक्त) अ) माथा रूंदी १ मी, ब) तळ रुंदी १.०० मी, क) खोली १.०० मी. | | ९१२२५ | ८६४५८ | |

मृद व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मापद-२०२२/ प्र.क्र. ५२८/ जल-७, दि.२७/११/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र विवरणपत्र - 'अ'

| | | | | तांत्रिक ता | | आर्थिक मापदंड (रु.) | | | | |
|---------|--|------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|-------------|------------|-----------------------|-------|
| अ. क्र. | उपचाराचे नांव | पाया (मी.) | उंची (मी.) | माथा रुंदी (मी.) | बाजु उतार | छेद (चौ. मी.) | लांबी (मी.) | परिमाण | ज.जा.उ.यो /डों.भाग | इतर |
| | बोडी दुरुस्ती/नुतनीकरण | | | | | | | | | |
| | १) मुख्य बांधाची लांबी ५० मी. व उंची १.५० मी. | 4.40 | १.५० | १.०० | १.५:१.०० | 8.८८ | ५० | प्रति बोडी | २७११५ | २४३८६ |
| | २) मुख्य बांधाची लांबी ५० मी. व उंची २.०० मी. | 9.00 | २.०० | १.०० | १.५:१.०० | ۷.00 | ५० | " | ५३४६१ | ४७९८४ |
| ૭ | ३) मुख्य बांधाची लांबी ७० मी. व उंची १.५० मी. | 4.40 | १.५० | १.०० | १.५:१.०० | 8.८८ | 60 | " | <i>७७७</i> ५६ | २८५३७ |
| | ४) मुख्य बांधाची लांबी ७० मी. व उंची २.००मी. | 9.00 | २.०० | १.०० | १.५:१.०० | ٥.00 | 60 | " | ६४०३८ | ५७४१० |
| | ५) मुख्य बांधाची लांबी १०० मी. व उंची १.५० मी. | ५.५० | १.५० | १.०० | १.५:१.०० | 8.८८ | १०० | " | ४९६१४ | ४४४८६ |
| | ६) मुख्य बांधाची लांबी १०० मी. व उंची २.००मी. | 6.00 | २.०० | १.०० | १.५:१.०० | ٥.00 | १०० | " | ९१०८० | ८१५७२ |

मृद व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मापद-२०२२/ प्र.क्र. ५२८/ जल-७, दि.२७/११/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र विवरणपत्र - 'अ'

| | | तांत्रिक तपशील | | | | | | | आर्थिक मापदंड (रु.) | | |
|---------|--|----------------|------------|------------|---------------------|------------------|-------------|--------|------------------------|-------|--|
| अ. क्र. | उपचाराचे नांव | जमीन उतार | पाया (मी.) | उंची (मी.) | माथा रुंदी (मी.) | छेद (चौ. मी.) | लांबी (मी.) | परिमाण | ज.जा.उ.यो / डों.भाग | इतर | |
| | अ) सलग समपातळी चर (०.४५ मी. खोलीचे चर) | | | | | • | | | | | |
| | कोकण व पश्चिम घाट प्रदेशासाठी मॉडेल क्र. १ | ०ते४% | ०.६० | 0.84 | ०.६० | 0.70 | ८३३ | हेक्टर | ०६८७४ | ४६११० | |
| | " मॉडेल क्र. २ | ४ते८% | ०.६० | 0.84 | 0.50 | 0.70 | ९८७ | " | ५५२८६ | ५३२५२ | |
| | अ. प्र.क्षेत्र व हमखास पावसाच्या प्रदेशासाठी - मॉडेल क्र.५ | ० ते ४ % | 0.50 | 0.84 | ०.६० | 0.70 | १००० | " | २७७६४ | २५६७९ | |
| | " मॉडेल क्र. ६ | ४ते८% | 0.50 | 0.84 | ०.६० | 0.70 | ११७९ | " | ३१७१४ | २९२५६ | |
| | " मॉडेल क्र. ७ | ८ ते १५ % | 0.50 | 0.84 | ०.६० | 0.70 | १५१४ | " | ३९०६३ | ३४७६७ | |
| ٥ | ब) सलग समपातळी चर (०.३० मी. खोलीचे चर) | | | | | | | | | | |
| | कोकण व पश्चिम घाट प्रदेशासाठी मॉडेल क्र. १ | ० ते ४ % | 0.50 | 0.30 | ०.६० | ०.१८ | ८३३ | हेक्टर | ३७४९४ | ३६२२० | |
| | " मॉडेल क्र. २ | ४ते८% | 0.50 | 0.30 | ०.६० | ०.१८ | ९८७ | " | ४१७३३ | ४०३६५ | |
| | अ. प्र.क्षेत्र व हमखास पावसाच्या प्रदेशासाठी - मॉडेल क्र.५ | ० ते ४ % | 0.50 | 0.30 | ०.६० | ०.१८ | १००० | " | २२६७५ | २११३३ | |
| | " मॉडेल क्र. ६ | ४ते८% | 0.50 | 0.30 | ०.६० | ०.१८ | ११७९ | " | २६५८९ | २४६६६ | |
| | " मॉडेल क्र. ७ | ८ ते १५ % | 0.50 | 0.30 | ०.६० | ०.१८ | १५१४ | " | २९७३५ | २७६३० | |
| | क) गुरे प्रतिबंधक चर (चराचा १० हेक्टर पेक्षा अधिक सलग गट असल्यास) | | ०.६० | १.०० | १.९० | १.२५ | १०२ | र. मी. | ६ऽ | ૭૫ | |
| 9 | खोल सलग समपातळी चर (१ मी. x १ मी.) | ११ | १.०० | १.० | १.०० | १.०० | २४० | हेक्टर | १६१३८ | १४८९७ | |

मृद व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मापद-२०२२/ प्र.क्र. ५२८/ जल-७, दि.२७/११/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र विवरणपत्र - 'अ'

| | शेततळे | | बर्म | खोदकाम | | आर्थिक मार् | गदंड (रु.) | | | | | |
|----------|---|-----------|-------|-------------------|--------------|---------------------|------------|--|--|--|--|--|
| अ. क्र. | आकारमान | बाजू उतार | (मी.) | परिमाण घन मीटर | परिमाण | ज.जा.उ.यो / डों.भाग | इतर | | | | | |
| १०. अ) इ | १०. अ) इनलेट आउटलेट सिल्ट ट्रॅप खोदाई सह शेततळे | | | | | | | | | | | |
| १ | १५ _х १५ _х ३ | १:१ | २ | ४६१.२५ | प्रति शेततळे | १८९१ | ३५५४६ | | | | | |
| २ | २० _X १५ _X ३ | १:१ | २ | ६४१.२५ | प्रति शेततळे | ५१०३२ | ४६५२५ | | | | | |
| ३ | ₹ x 05 x 05 | १:१ | २ | ८९६.२५ | प्रति शेततळे | ६७९३२ | ६२१९९ | | | | | |
| 8 | २५ _x २० _x ३ | १:१ | २ | ११५१.२५ | प्रति शेततळे | ८४८३२ | ६७८७७ | | | | | |
| ц | २५ _x २५ _x ३ | १:१ | २ | १४८१.२५ | प्रति शेततळे | १०६७८७ | ९८२४४ | | | | | |
| Ę | ३० x २५ x ३ | १:१ | 7 | १८११.२५ | प्रति शेततळे | १२८७४३ | ११८६१४ | | | | | |
| y | ₹ x 0\$ x 0\$ | १:१ | २ | २२१६.२५ | प्रति शेततळे | १५५७५५ | १४३६८० | | | | | |
| ۷ | 38 x 38 x 3 | १:१ | २ | २९१२.२५ | प्रति शेततळे | २०२२१० | १८६७९१ | | | | | |

मृद व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मापद-२०२२/ प्र.क्र. ५२८/ जल-७, दि.२७/११/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र विवरणपत्र - 'अ' ए जलसंशारणाच्या विविध उपचारांची कामे मणिनस्या सहाय्याने क्रमायासाठी सधारीत तांत्रिक/आर्थिक माप्रतंदाच

| | शेततळे | | बर्म | खोदकाम | | आर्थिक मार् | ग्दंड (रु.) | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|-------|-------------------|--------------|---------------------|-------------|--|--|--|--|
| अ. क्र. | आकारमान | बाजू उतार | (मी.) | परिमाण घन मीटर | परिमाण | ज.जा.उ.यो / डों.भाग | इतर | | | | |
| १०. ब) इनलेट आउटलेट सिल्ट ट्रॅप खोदाई विरहीत शेततळे | | | | | | | | | | | |
| १ | १५ x १५ x ३ | १:१ | - | ४४१ | प्रति शेततळे | २३३७४ | २१२५५ | | | | |
| 7 | २० _X १५ _X ३ | १:१ | - | ६२१ | प्रति शेततळे | <i>\$\$</i> 999 | ३१०१६ | | | | |
| ₹ | २० _X २० _X ३ | १:१ | - | ८७६ | प्रति शेततळे | ५०३१६ | ४६१०८ | | | | |
| ४ | २५ _x २० _x ३ | १:१ | - | ११३१ | प्रति शेततळे | ६६६३३ | ६११९९ | | | | |
| ų | २५ _X २५ _X ३ | १:१ | - | १४६१ | प्रति शेततळे | ८८००६ | ८०९८७ | | | | |
| દ્દ | ३० _X २५ _X ३ | १:१ | - | १७९१ | प्रति शेततळे | १०९३७९ | १००७७५ | | | | |
| y | ₹ x 0\$ x 0 | १:१ | - | २१९६ | प्रति शेततळे | १३५८०९ | १२५२५८ | | | | |
| ۷ | 38 x 38 x 3 | १:१ | - | २८९२ | प्रति शेततळे | १८१३३१ | १६७४३७ | | | | |

मृद व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मापद-२०२२/ प्र.क्र. ५२८/ जल-७, दि.२७/११/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र विवरणपत्र - 'अ'

| | शेततळे | | बर्म | खोदकाम | | आर्थिक माप | गदंड (रु.) | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|-------|-------------------|--------------|---------------------|------------|--|--|--|--|
| अ. क्र. | आकारमान | बाजू उतार | (मी.) | परिमाण घन मीटर | परिमाण | ज.जा.उ.यो / डों.भाग | इतर | | | | |
| ११. अ) इनलेट आउटलेट सिल्ट ट्रॅप खोदाई सह शेततळे | | | | | | | | | | | |
| १ | १५ _X १५ _X ३ | <i>૧.</i> ५:१ | २ | ३७१.२५ | प्रति शेततळे | ३२३३५ | २९१२४ | | | | |
| २ | २० _X १५ _X ३ | <i>૧.</i> ५:१ | 2 | ५२८.७५ | प्रति शेततळे | ४२५८९ | ३८६२२ | | | | |
| Ą | २० _X २० _X ३ | <i>૧.</i> ५:१ | २ | ७६१.२५ | प्रति शेततळे | ५७८९९ | ५२८१४ | | | | |
| 8 | २५ _x २० _x ३ | <i>૧.</i> ५:१ | २ | ९९३.७५ | प्रति शेततळे | ७३२०९ | ६७००७ | | | | |
| ų | २५ _X २५ _X ३ | <i>૧.</i> ५:१ | २ | १३०१.२५ | प्रति शेततळे | ९३५७५ | ८५८९६ | | | | |
| દ્ | ३० _X २५ _X ३ | <i>૧.</i> ५:१ | २ | १६०८.७५ | प्रति शेततळे | ११३९४१ | १०४७८४ | | | | |
| O | ₹ x 0 € X 0 | <i>૧.</i> ५:१ | २ | १९९१.२५ | प्रति शेततळे | १३९३६३ | १२८३६९ | | | | |
| ۷ | ₹ x ₹ x ₹ | १.५:१ | 2 | २६५१.२५ | प्रति शेततळे | १६१०७८ | १४८९३० | | | | |

मृद व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मापद-२०२२/ प्र.क्र. ५२८/ जल-७, दि.२७/११/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र विवरणपत्र - 'अ'

| | शेततळे | | बर्म | खोदकाम | | आर्थिक माप | गदंड (रु.) | | | | | |
|-----------|---|-----------|-------|-------------------|--------------|---------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| अ. क्र. | आकारमान | बाजू उतार | (मी.) | परिमाण घन मीटर | परिमाण | ज.जा.उ.यो / डों.भाग | इतर | | | | | |
| ११. ब) इन | ११. ब) इनलेट आउटलेट सिल्ट ट्रॅप खोदाई विरहीत शेततळे | | | | | | | | | | | |
| १ | १५ _X १५ _X ३ | १.५:१ | - | ३५१ | प्रति शेततळे | १८५५५ | १६८६९ | | | | | |
| २ | २० _X १५ _X ३ | १.५:१ | - | ५०९ | प्रति शेततळे | २६८९६ | २४४५३ | | | | | |
| 3 | २० _X २० _X ३ | १.५:१ | - | ७४१ | प्रति शेततळे | ३९७११ | ३६१५१ | | | | | |
| 8 | २५ x २० x ३ | १.५:१ | ı | ९७४ | प्रति शेततळे | ५१८७९ | ४७२०२ | | | | | |
| ц | २५ x २५ x ३ | १.५:१ | 1 | १२८१ | प्रति शेततळे | ७१४४४ | ६५२८९ | | | | | |
| ६ | ३० x २५ x ३ | १.५:१ | 1 | १५८९ | प्रति शेततळे | ९१००९ | <i>७७६६</i> ऽ | | | | | |
| G | ₹ x 0\$ x 0\$ | १.५:१ | - | १९७१ | प्रति शेततळे | ११५६३० | १०६१६० | | | | | |
| ۷ | 38 x 38 x 3 | १.५:१ | - | २६३१ | प्रति शेततळे | १५८२५९ | १४५६१९ | | | | | |

मृद व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मापद-२०२२/ प्र.क्र. ५२८/ जल-७, दि.२७/११/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र विवरणपत्र - 'अ'
मृद व जलसंधारणाच्या विविध उपचारांची कामे मिशनच्या सहाय्याने करण्यासाठी सुधारीत तांत्रिक/आर्थिक

माएटंटाचा तस्ता

| | | | | मापदडाचा त | 1क्ता | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|--|--|--|--|--|
| अ. क्र. | शेततळे | बाज रवार | बर्म | खोदकाम परिमाण घन | परिमाण | आर्थिक ग | नापदंड (रु.) | | | | | |
| м. ж. | आकारमान | बाजू उतार | अम | मीटर | पारमाण | ज.जा.उ.यो /डों.भाग | इतर | | | | | |
| १२. कोक | १२. कोकण विभागासाठी कातळात यंत्राद्वारे इनलेट आऊटलेट विरहीत शेततळे. | | | | | | | | | | | |
| १ | १५ _X १५ _X 3 | १:१ | - | ४४१ | प्रति शेततळे | ८७२९९ | ७९३६९ | | | | | |
| २ | २० χ १५ χ 3 | १:१ | - | ६२१ | प्रति शेततळे | १२४०१७ | ११२८५० | | | | | |
| n | २० _X २० _X 3 | १:१ | - | ८७६ | प्रति शेततळे | १७७२९८ | १६१५४५ | | | | | |
| 8 | 74x70x3 | १:१ | - | ११३१ | प्रति शेततळे | २३०५७९ | २१०२४१ | | | | | |
| ų | २५ <u>x</u> २५ <u>x</u> 3 | १:१ | - | १४६१ | प्रति शेततळे | २९९७८७ | २७३५१५ | | | | | |
| w | ३ ० _Х २५ _Х 3 | १:१ | - | १७९१ | प्रति शेततळे | ३६८९९६ | ३३६७९० | | | | | |
| 9 | ₹0 _X ₹0 _X 3 | १:१ | - | २१९६ | प्रति शेततळे | ४५४१३२ | ४१४६४३ | | | | | |
| ۷ | ₹ ४ x₹ ४ x3 | १:१ | - | २८९२ | प्रति शेततळे | ६००५४५ | ५४८५४० | | | | | |
| १३. कोक | १३. कोकण विभागासाठी कातळात यंत्राद्वारे जलकुंड खोदकाम. | | | | | | | | | | | |
| १ | 4 _X 4 _X 2 | १: ૦.૫ | - | ३२.६६ | प्रति जलकुंड | १६१८४ | १५५९७ | | | | | |